विज्ञापन
(गृह मंत्रालय)
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सेक्टर, केरिपुबल, रायपुर।

1. छत्तीसगढ़ राज्य के वामपंथ उग्रवाद/नक्सल प्रभावित बीजापुर, दन्तेवाड़ा, सुकमा एवं नारायणपुर जिलों में अनुसूचित जनजाति हेतु सिपाही के 743 रिक्त पदों (सिपाही/सामान्य डयूटी–639 एवं सिपाही/ट्रेड्मैन–104 पद) के लिए विशेष रैली अभियान द्वारा भर्ती की जाएगी।

2. क) सिपाही/जीडी पद के लिए भर्ती की संभावित तिथि एवं स्थानः–

राज्य का नाम	जिले का नाम	रैली केन्द्र का पूरा पता जहॉ रैली आयोजित होगी	तारीख /समय
छत्तीसगढ़	बीजापुर	स्पोर्टस स्टेडियम बीजापुर	14/10/16 से 19/10/16 (प्रातः 7.00 बजे से)
	दंतेवाड़ा	1. 111 बटा. पुलिस लाईन कारली, दंतेवाड़ा	14/10/16 से 17/10/16 (प्रातः 7.00 बजे से)
		2. 195 बटा. केरिपुबल, बारसुर	18/10/16 से 19/10/16 (प्रातः 7.00 बजे से)
	सुकमा	पुलिस लाईन सुकमा	14/10/16 से 19/10/16 (प्रातः 7.00 बजे से)
	नारायणपुर	बालक उच्च विद्यालय, नारायणपुर।	14/10/16 से 19/10/16 (प्रातः 7.00 बजे से)

ख) सिपाही(ट्रेड्समैन) पद के लिए भर्ती की संभावित तिथि एवं स्थानः–

राज्य का नाम	जिले का नाम	रैली केन्द्र का पूरा पता जहॉ रैली आयोजित होगी	तारीख /समय
छत्तीसगढ़	बीजापुर	स्पोर्टस स्टेडियम बीजापुर	20/10/16 से 24/10/16 (प्रातः 7.00 बजे से)
	दंतेवाड़ा	1. 111 बटा. पुलिस लाईन कारली, दंतेवाड़ा	20/10/16 से 22/10/16 (प्रातः 7.00 बजे से)
		2. 195 बटा. केरिपुबल, बारसुर	23/10/16 से 24/10/16 (प्रातः 7.00 बजे से)

	सुकमा	पुलिस लाईन सुकमा	20/10/16 से 24/10/16 (प्रातः 7.00 बजे से)
	नारायणपुर	बालक उच्च विद्यालय, नारायणपुर।	20/10/16 से 24/10/16 (प्रातः 7.00 बजे से)

3 (1) विशेष भर्ती रैली हेतु जिला/ट्रेड वार रिक्तियों (पुरूष व महिला) का विवरणः–

पद/ट्रेड	जिला का नाम	कुल रिक्ति	33 प्रतिशत रिक्ति महिलाओं के लिए	रिक्ति (पुरूष)	भू.पू. सैनिक (10 प्रतिशत)
सिपाही(जीडी)	बीजापुर	178	59	107	12
	दंतेवाड़ा	185	61	112	12
	सुकमा	182	60	110	12
	नारायणपुर	94	31	57	06
	कुल	639	211	386	42
सिपाही(बुगलर)	बीजापुर	06	02	04	..
	दंतेवाड़ा	07	02	05	..
	सुकमा	06	02	04	..
	नारायणपुर	03	01	02	..
	कुल	22	07	15	..
सिपाही(मोची)	बीजापुर	01	..	01	..
	दंतेवाड़ा	01	..	01	..
	सुकमा	01	..	01	..
	नारायणपुर	.	..	..	..
	कुल	03	..	03	..
सिपाही(माली)	बीजापुर	..	..	..	..
	दंतेवाड़ा	01	...	01	..
	सुकमा	..	..	..	..
	नारायणपुर	..	..	..	..
	कुल	01	..	01	..
सिपाही(रसोईया)	बीजापुर	07	02	05	..
	दंतेवाड़ा	08	03	04	01
	सुकमा	08	03	04	01
	नारायणपुर	04	01	03	..
	कुल	27	09	16	02
सिपाही(जलवाहक)	बीजापुर	05	02	03	..
	दंतेवाड़ा	05	02	03	..
	सुकमा	05	02	03	..
	नारायणपुर	02	..	02	..
	कुल	17	06	11	..

सिपाही(सफाई कर्मचारी)	बीजापुर	05	02	03	..
	दंतेवाड़ा	05	02	03	..
	सुकमा	05	02	03	..
	नारायणपुर	02	..	02	..
	कुल	17	06	11	..
सिपाही(नाई)	बीजापुर	02	..	02	..
	दंतेवाड़ा	03	01	02	..
	सुकमा	02	..	02	..
	नारायणपुर	01	..	01	..
	कुल	08	01	07	..
सिपाही(धोबी)	बीजापुर	03	01	02	..
	दंतेवाड़ा	03	01	02	..
	सुकमा	02	..	02	..
	नारायणपुर	01	..	01	..
	कुल	09	02	07	..

नोटः—क) 33 प्रतिशत रिक्ति महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसी तरह 10 प्रतिशत पुरूषों की रिक्ति भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।

ख) रिक्तियॉ केवल अनुसूचित जनजाति (एस0टी0) उम्मीदवार के लिए है। उसी तरह भूतपूर्व सैनिक जो अनुसूचित जनजाति से संबंद्ध रखता हो उन्हीं उम्मीदवार को भर्ती प्रकिया में शामिल किया जाएगा।

ग) रिक्तियों की संख्या में कमी व बढ़ोत्तरी हो सकती है। पद अस्थाई है, लेकिन उनके स्थाई होने की संभावना है।

घ) यदि पुरूष एवं महिला की रिक्तियॉ प्रथम चरण में खाली रह जाती है तो इन रिक्तियॉ को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चरण की भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

3 (2) जिला/ट्रेड वार रिक्तियों की अलग सूची इस प्रकार है :—

i) बीजापुर जिला:

पद/ट्रेड	रिक्तियों की संख्या		
	पुरूष	महिला	कुल
सिपाही(जीडी)	119	59	178
सिपाही(बुगलर)	4	2	6
सिपाही(मोची)	1	0	1
सिपाही(माली)	0	0	0

सिपाही(रसोईया)	5	2	7
सिपाही(जलवाहक)	3	2	5
सिपाही(सफाई कर्मचारी)	3	2	5
सिपाही(नाई)	2	0	2
सिपाही(धोबी)	2	1	3
कुल	139	68	207

ii) दंतेवाड़ा जिला:

पद/ट्रेड	रिक्तियों की संख्या		
	पुरूष	महिला	कुल
सिपाही(जीडी)	124	61	185
सिपाही(बुगलर)	5	2	7
सिपाही(मोची)	1	0	1
सिपाही(माली)	1	0	1
सिपाही(रसोईया)	5	3	8
सिपाही(जलवाहक)	3	2	5
सिपाही(सफाई कर्मचारी)	3	2	5
सिपाही(नाई)	2	1	3
सिपाही(धोबी)	2	1	3
कुल	146	72	218

iii) सुकमा जिला:

पद / ट्रेड	रिक्तियों की संख्या		
	पुरूष	महिला	कुल
सिपाही(जीडी)	122	60	182
सिपाही(बुगलर)	4	2	6
सिपाही(मोची)	1	0	1
सिपाही(माली)	0	0	0
सिपाही(रसोईया)	5	3	8
सिपाही(जलवाहक)	3	2	5
सिपाही(सफाई कर्मचारी)	3	2	5
सिपाही(नाई)	2	0	2
सिपाही(धोबी)	2	0	2
कुल	142	69	211

iv) नारायणपुर जिलाः

पद / ट्रेड	रिक्तियों की संख्या		
	पुरूष	महिला	कुल
सिपाही(जीडी)	63	31	94
सिपाही(बुगलर)	2	1	3
सिपाही(मोची)	0	0	0
सिपाही(माली)	0	0	0
सिपाही(रसोईया)	3	1	4
सिपाही(जलवाहक	2	0	2

)			
सिपाही(सफाई कर्मचारी)	2	0	2
सिपाही(नाई)	1	0	1
सिपाही(धोबी)	1	0	1
कुल	74	33	107

4. **मूल निवास का जनपद/जिलाः–**

क) उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित जिलें के अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंद्ध रखता हो :–

- क) बीजापुर
- ख) दंतेवाड़ा
- ग) सुकमा
- घ) नारायणपुर

ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण–पत्र के प्रस्तुत करने पर ही उपरोक्त जिला के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को भर्ती प्रकिया में शामिल किया जाएगा। अधिवास प्रमाण–पत्र की अनुपस्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण–पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है।

ग) रिक्ति उपरोक्त वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों से ही भरी जाएगी। उक्त संबंधित वामपंथी उग्रवाद नक्सल प्रभावित जिलों के अभ्यर्थियों को संबंधित जिले का वैध मूल निवास प्रमाण पत्र/स्थाई निवासी प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो प्रस्तुत करने पर ही भर्ती प्रकिया में शामिल किया जाएगा। अन्य वामपंथी उग्रवाद जिलों के अभ्यर्थीयॉ को रैली में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

घ) अन्य वामपंथी उग्रवाद नक्सल प्रभावित जिलों के उम्मीदवार को रैली में भाग लेने कि अनुमति नहीं होगी।

ड.) उम्मीदवार उपरोक्त चारों जिला की भर्ती प्रकिया में किसी भी जिले में शामिल हो सकता है परंतु भर्ती प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत उनके मूल जिला की रिक्तियों अनुसार ही उनके भर्ती पर विचार किया जाएगा।

5. <u>वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सुविधाएंः–</u>

सिपाही पद के लिए वेतनमान रू0 5200–20,200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/– (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल –3 अर्थात् रू0 21,700–30,200) होगा। इसके अतिरिक्त इस पद पर समय–समय पर देय महॅंगाई भत्ता/राशन भत्ता, मुफ्त आवास/वर्दी/चिकित्सा सुविधाएं/वर्ष में एक बार छुट्टी के दौरान छुट्टी पास बल के नियमों के अनुसार देय होंगे।

6. <u>पात्रता की शर्तें</u>ः–

क) <u>राष्ट्रीयता/नागरिकता</u>ः–

उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।

ख) <u>शैक्षिक योग्यता</u>ः–

उम्मीदवार केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से दसवीं/मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष कोई परीक्षा पास किया हो।

ग) <u>आयु सीमा</u>ः–

दिनांक 01/08/2016 को 18 से 28 वर्ष के बीच। (अनुसूचित जनजाति के 5 वर्ष की छूट देने के पश्चात)

नोटः– 1) आवेदक नोट करें कि भर्ती के दौरान उम्मीदवार के आवेदन एवं मैट्रिक/सेकेन्डरी परीक्षा के प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्शाई गई जन्मतिथि ही आयु निर्धारण के लिए स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2) विभिन्न श्रेणियों के पात्र/योग्य उम्मीदवार हेतु आयु में दी जाने वाली छूट की सीमा की गणनाः–

श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा पर देय अधिकतम छूट
अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार	23+05 = 28 वर्ष (अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के रूप में 05 वर्ष की छूट देते हुए)
भूतपूर्व सैनिक (अनुसूचित जनजाति)	23+05+03 = 31 वर्ष गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से सेना में की गई सेवा की अवधि को घटाने के बाद।

<u>घ) शारीरिक मापदंड परीक्षाः–</u>

	ऊॅंचाई (कम से कम)	सीना
पुरूष	153 से.मी.	कम से कम 74.5 से.मी.

महिला	140.5 से.मी.	लागू नहीं
वजन में छूटः— ऊँचाई के अनुपात में 10 प्रतिशत की वजन में आनुपातिक छूट		

च) शारीरिक दक्षता परीक्षाः—(पी0ई0टी0)

परीक्षा	पुरूषों के लिए	महिलाओं के लिए
सिपाही/जीडी के लिए		
दौड़	24 मिनट में 05 कि.मी. दौड़	8 मिनट 30 सेंकेड में 1.6 कि.मी. (1 मील) दौड़
सिपाही/ट्रेडमैन के लिए		
दौड़	10 मिनट में 1.6 कि.मी. (1 मील) दौड़	12 मिनट में 1.6 कि.मी. . (1 मील) दौड़

नोटः— भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता जॉच नहीं होगी। परन्तु, इन्हें लिखित एवं चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

छ) चिकित्सा मापदंडों (पैरामीटर्स) के बारे में सामान्य सूचनाः—

विस्तृत चिकित्सा परिक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। कुछ महत्वपूर्ण मापदंड (पैरामीटर) इस प्रकार हैः—

i) दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि बेहतर ऑखों के लिए 6/6 एवं 6/9 तक बिना किसी त्रुटि अर्थात बिना चश्में के होनी चाहिए।

ii) और, वर्णान्धता पद के लिए अयोग्यता होगी और यदि सेवा काल में कभी भी, किसी भी स्तर पर वर्णान्धता पाया गया तो उन्हें प्रचलित चिकित्सा नियम ''शेप'' के तहत बोर्ड आउट किया जायेगा।

iii) उम्मीदवार को आपस में टकराते घुटने, सपाट तलबे, वेरीकोज वेन आंखों के भेंगेपन से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। उसे मानसिक/शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें ऐसा कोई दोष न हो, जिससे उसे प्रभावी ढंग से डयूटी करने में बाधा उत्पन्न हो। बल द्वारा निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करना होगा और केन्द्रीय सशस्त्र बल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट(उपयुक्त) घोषित किया होना चाहिए। किसी दूसरे जगह से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

iv) केवल उन्हीं उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच (एक्स—रे एवं प्रयोगशाला जांच) करवाए जाएगें जो अन्य सभी चिकित्सा परीक्षा में योग्य पाए जाएंगे।

एक्स–रे एवं अन्य परीक्षण/जॉच में अयोग्य उम्मीदवारों की अपील/याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।

v) उम्मीदवारों के सभी प्रमाण पत्रों की जॉच चिकित्सा परीक्षण के स्तर पर बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

ज) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शर्तेः–

भूतपूर्व सैनिक से आशय उस व्यक्ति से है, जिसने किसी पद पर (योद्धक और गैर योद्धक) भारत संघ की नियमित सेना, जल सेना और वायु सेना में कार्य किया हो, औरः–

क) वह कार्मिक जो पेंशन प्राप्त करने हेतु स्वयं के अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा से सेवा निवृत हुआ हो या कार्यमुक्त करने हेतु स्वयं के अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या कार्य मुक्त या डिस्चार्ज हुआ हो, या
ख) वह जो सेवा से चिकित्सा आधार पर जो कि सैन्य सेवा/ऐसी परिस्थितियों जिस पर कार्मिक का नियंत्रण न हो के कारण कार्यमुक्त किया गया हो एवं जिसे चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान किया गया हो, या

ग) वह जिसे स्वयं के अनुरोध को छोड़कर संगठन को लघु करने के कारण कार्यमुक्त किया गया हो, या

घ) वह जिन्हें निर्धारित अवधि के पश्चात कार्यमुक्त किया गया हो, सिवाय उनके जिन्हें कदाचार या अदक्षता के कारण उनकी स्वयं की इच्छा से या बर्खास्त या हटाया गया हो और उन्हें उपादान अदा किया गया हो। इसमें प्रादेशिक सेना के निम्न वर्ग के कार्मिक भी शामिल हैः–

i) लगातार (सुनिश्चित) सेवा के पश्चात पेंशन प्राप्त कर्ता
ii) सेना सेवा के लिए अशक्तता पेंशन पाने वाला कार्मिक
iii) वीरता के लिए पदक विजेता

झ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही सामान्य डयूटी एवं ट्रेड्समैन) पद पर भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती हेतुः–

क) शारीरिक मानदंड – पूर्ण छूट
ख) चिकित्सा श्रेणी – शेप–एक
ग) चरित्र – अनुकरणीय/बहुत अच्छा/अच्छा
घ) सेवा में व्यवधान – 24 माह से ज्यादा नहीं।
च) शैक्षिक योग्यता – पूर्ण छूट

छ) आयु सीमा :–
भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में छूट के अनुरूप उन्हें वास्तविक आयु मे से सैनिक सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और यह घटाई गई आयु निर्धारित सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ट) भर्ती के समय भूतपूर्व सैनिकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी, परन्तु उन्हें लागूनुसार लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा पास करनी होगी।

ठ) यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियॉ योग्य एवं सफल भूतपूर्व सैनिक के कोटे के आवेदक की अनुपलब्धता की स्थिति में खाली रह जाती है, तो इसे गैर भूतपूर्व सैनिकों के कोटे से भरी जायेगी।

7) आवेदनः–

क) उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र परिशिष्ट – ए में दिए गए प्रोफार्मा में भर्ती स्थल (रैली स्थल) पर भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस पद हेतु वांछित सभी शर्ते/पात्रता पूरी करते हैं। भर्ती के सभी स्तर पर उनका प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी एवं निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करने की शर्त पर होगा। लिखित परीक्षा से पहले या वाद में तथा चिकित्सा परीक्षण के दौरान या सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नही करते है तो बोर्ड द्वारा उनके नामांकन/आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।

ख) निर्धारित योग्यता/दक्षता के अनुसार एक उम्मीदवार सिपाही(जीडी) एवं सिपाही (ट्रेडसमैन) के पद के लिए आवेदन कर सकता है। आगे, जब उम्मीदवार सिपाही (ट्रेडसमैन) की पद चुनता है तो केवल सिपाही (ट्रेडसमैन) के अन्तर्गत आने वाले पदों में से किसी एक ही पद चुन सकता है। यदि उम्मीदवार दोनों पद (सिपाही(जीडी) एवं सिपाही (ट्रेडसमैन)) के लिए आवेदन करतें है तो अलग–अलग आवेदन पूर्ण करना होगा।

ग) सिपाही(जीडी) एवं सिपाही (ट्रेडसमैन) की लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी ताकि उम्मीदवार आसानी से लिखित परीक्षा में शामिल हो सकें।

8) आवेदन शुल्कः–

किसी भी उम्मीदवार से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

9) बोर्ड का निर्णय एवं अपील प्रकिया :—

पात्रता, स्वीकृति, अस्वीकृति, झूठी सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, परीक्षाओं का आयोजन से संबंधित सभी मामलों में संबंधित बोर्ड के निर्णय अंतिम होंगे और वे निर्णय सभी उम्मीदवारों को मान्य होंगे। हॉलाकि, उम्मीदवार बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध 11(च) में दिये गये प्रावधानों के तहत अपील कर सकता है।

10) आवेदन कैसे करें:—

भर्ती छत्तीसगढ़ राज्य के चिन्हित नक्सल / एल0 डब्ल्यू0 ई0 प्रभावित जिलों में पैरा–1 में दर्शाई गई जगहों/स्थानों पर विशेष रैली के माध्यम से की जाएगी। उम्मीदवारों को भर्ती स्थल पर परिशिष्ट–ए के रूप में संलग्न प्रपत्र को पूरी तरह से भर कर रिपोर्ट करना होगा। आवेदन ए–4 साईज के सादा कागज पर भी टाईप करके या साफ–साफ अक्षरों में हाथ से लिखकर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति भी संलग्न करें:—

क) उम्मीदवार के हाल ही में खींचे गए 2 पासपोर्ट साईज के फोटो। एक फोटो आवेदन पर चिपकाएं और दूसरे फोटो के पीछे उम्मीदवार का नाम व हस्ताक्षर होने चाहिए।

ख) जन्मतिथि तथा शैक्षणिक योग्यता की सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाण पत्र।

ग) संबंधित राज्य द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध स्थाई निवासी प्रामण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र।

घ) अतिरिक्त योग्यता के आधार हेतु अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई है तो।

च) वे उम्मीदवार जो जाति के आधार पर छूट का दावा करते है, उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र संलग्न परिशिष्ट–बी के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जिसे राजस्व अधिकारी (जो तहसीलदार पद से नीचे का ना हो) द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत छूट का दावा करना चाहते है, वे उसके समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें।

छ) उपरोक्त दस्तावेजों की छायाप्रति के अलावा उम्मीदवारों को उनकी मूलप्रति भी साथ लानी होगी, जिन्हें मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

ज) अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र :– यदि कोई उम्मीदवार पीएसटी/पीईटी के समय दिये गये निर्धारित प्रोफार्मा में स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे आगे की भर्ती प्रकिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा उनकी उम्मदवारी को गलत सूचना देने के कारण सीधा खारिज कर दिया जायेगा। हॉलाकि, यदि वह जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने करने के लिए समय की मॉग करता है, तो उसे पी0एस0टी0/पी0ई0टी0 की अंतिम तिथि का एक निश्चित समय जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा। आवश्यक जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनका पी0एस0टी0/पी0ई0टी0 हेतु मुल्यांकन किया जायेगा।

आगे, यदि अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार पी0एस0टी0/पी0ई0टी0 के समय निर्धारित प्रोफार्मा में जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करते है, तो उनसे वचनबद्धता प्राप्त करने के उपरांत कि वे पी0एस0टी0/पी0ई0टी0 की अंतिम तारीख से पूर्व निर्धारित प्रोफार्मा में जरूरी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर देंगें, उन्हें भर्ती की प्रकिया में शामिल होने दिया जायेगा। यदि आवेदक पी0एस0टी0/पी0ई0टी0 की अंतिम तिथि तक ऐसा करने में असफर रतहा है, तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द माना जायेगा।

11– चरण–1 चयन प्रकिया:–

i) पंजीकरण:–

उम्मीदवारों के भर्ती स्थल पर रिपोर्ट करने पर उनके आवेदन पत्र को एकत्रित कर उनका नाम पंजीकृत करते हुए रौल नम्बर आवंटित किए जाएंगे। रैली स्थल/मैदान पर प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को पहचान प्रमाण स्वरूप जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड संख्या, पैन कार्ड, वोटर पहचान कार्ड एवं राशन कार्ड स्वीकार किए जा सकेंगे। पी.ई.टी/पी.एस.टी के दौरान बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की विस्तृत छानबीन नहीं की जाएंगी यथा उम्मीदवारों को प्रथम दृष्टया आधार पर ही पी.ई.टी/पी.एस.टी में शामिल होने दिया जाएगा।

चरण–2 (पी.एस.टी/पी.ई.टी):–

क) ऊॅचाई बार जॉच:–

भर्ती प्रकिया के शुरू में सभी उम्मीदवारों को ऊॅचाई बार के नीचे से जाने के लिए कहा जाएगा और जिन उम्मीदवारों की ऊॅचाई कम होगी उन्हें भर्ती प्रकिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। (केवल सिपाही/जीडी के लिए)

ख) <u>दौड़:–</u>

वे उम्मीदवार जो ऊँचाई बार जॉच में योग्य पाए जाएंगे उन्हें पैरा–6(च) में दिए गए विवरण के अनुसार पी.ई.टी (दौड़) में शामिल किया जाएगा। दौड़ अर्हता प्रकृति की होगी।

ग) <u>पहचान/शिनाख्त:–</u>

वे उम्मीदवार जो दौड़ की अर्हता पूरी कर लेंगे उन्हें आधुनिक बायोमैट्रिक प्रकिया से गुजरना होगा, ताकि प्रतिरूपण (छदम रूप धारण) करने वाले उम्मीदवारों की रोकथाम हो सके। भर्ती के प्रत्येक चरण में बायोमैट्रिक प्रकिया अपनाई जाएगी। कम्प्यूटर से संबंधित बायोमैट्रिक मशीन की अनुपलब्धता की स्थिति में अंगूठे की निशान वाला डिजिटल फोटोग्राफ अथवा शरीर के कोई अन्य विशिष्ट पहचान दिए जा सकते है।

घ) <u>शारीरिक मापदंड परीक्षा</u>:–

जिन उम्मीदवारों को बायोमैट्रिक पहचान जॉच में योग्य पाया जाएगा, उनकी ऊँचाई, सीना और वजन की माप/जांच की जाएगी। ऊँचाई तथा सीना में छूट (जैसा भी मामला हो) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी। जो उम्मीदवार निर्धारित शारीरिक मापदंड को पूरा नहीं करते है, उन्हें आगे की प्रकिया में शामिल नहीं होने दिया जायेगा। पी.एस.टी./पी.ई.टी में पास होने के बाद भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती स्थल पर ही एक निश्चित तिथि को लिखित परीक्षा में शामिल होने की सूचना दी जायेगी।

च) <u>अपील</u>:–

भर्ती प्रकिया के दौरान यदि कोई उम्मीदवार उसके शारीरिक माप तौल से असन्तुष्ट रहता है, तो उसके द्वारा की गई अपील स्वीकार की जाएगी। यदि उम्मीदवार पी.एस.टी. के मानक के अनुसार योग्य पाया जाता है तो अगली जांच प्रकिया में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में निम्नलिखित अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी का कार्य करेगें:–

क. सं.	जिला/रैली स्थल का नाम	अपीलीय प्राधिकारी का पुरा पता
01	बीजापुर	पुलिस उप महानिरीक्षक, परिचालन रेंज, केरिपुबल, कृषि उपज मंडी, बीजापुर, छत्तीसगढ़–494444
02	दंतेवाड़ा	पुलिस उप महानिरीक्षक, परिचालन रेंज, केरिपुबल, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़–494449
03	नारायणपुर	पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज मुख्यालय, केरिपुबल, एल. आई.जी. क्वाटर निकट सिविल पुलिस अस्पताल, ध ाोड़ापेंग, जगदलपुर, छत्तीसगढ़–494001

04	सुकमा	पुलिस उप महानिरीक्षक, परिचालन रेंज, सबरीनगर, सुकमा, छत्तीसगढ़–494111

चरण–3 लिखित परीक्षा :: दिनांक 06/11/2016

i) वे उम्मीदवार जो पी.ई.टी/पी.एस.टी में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा।

ii) लिखित परीक्षा गैर ओ.एम.आर. आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और प्रश्न बहुवैकल्पिक होगे, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

iii) प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएगें।

iv) मूलभत ज्ञान से संबंधित प्रश्न कमशः अंग्रेजी/हिन्दी में तैयार किए जाएंगे और उम्मीदवार अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में तथा हिन्दी भाषा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही देंगे।

v) सिपाही(जीडी) एवं सिपाही (ट्रेडसमैन) की लिखित परीक्षा दो पालियों में नीचे दिए गए विवरण अनुसार आयोजित होगी ताकि उम्मीदवार आसानी से लिखित परीक्षा में शामिल हो सकें :–

क) केवल सिपाही (जीडी) : 1000 से 1200 बजे तक

ख) केवल सिपाही (ट्रेडसमैन) : 1500 से 1700 बजे तक

क) सिपाही/सामान्य डयूटी पद के लिए:–

100 अंकों का केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसकी अवधि 2 घण्टा होगी। इसमें वहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे और, प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा, जिसमें निम्न सामग्री होगी:–

i) सामान्य जागरूकता/ज्ञान
ii) मूल गणित का ज्ञान
iii) विश्लेषणात्मक अभिरूचि
iv) प्रतिमान की जॉच उसमें विभेद करने की योग्यता
v) अंग्रेजी/हिंदी का मूल ज्ञान।

ख) सिपाही(ट्रेड्समैन) पद के लिए:–

100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और इसके दो भाग होंगे। भाग–1 में कक्षा–10 पास का अपेक्षित ज्ञान एवं भाग–2 उनके ट्रेड्स से संबंधित होगा। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घण्टा होगी जिसका विवरण इस प्रकार है:–

भाग–1 (50 प्रश्न जो प्रत्येक एक अंक का होगा)

ए) सामान्य जागरूकता/ज्ञान
बी) मूल गणित का ज्ञान
सी) विश्लेषणात्मक अभिरूचि
डी) प्रतिमान की जांच और उसमें विभेद करने की योग्यता
ई) अंग्रेजी/हिंदी का मूल ज्ञान

भाग–दो (50 प्रश्न प्रत्येक एक अंक का)

इस भाग में भी 50 प्रश्न होगे जो बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, जिससे संबंधित ट्रेड के ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उसे उसी ट्रेड का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। सभी पदों के लिए लिखित परीक्षा में अर्हकता के कम से कम अंकों का प्रतिशत 33 होगी।

नोटः– सभी पदो के लिए प्रश्न कर्मचारी चयन आयोग पद्धति पर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।

i) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी में ही तैयार किए जायेंगे। तद्नुसार सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक गणित, विश्लेषणात्मक योगता अभिरूचि एवं विशिष्टता पद्धति को परखने एवं संबंधित व्यावसायिक ट्रेड्स से संबंधित प्रश्न कमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में सेट किये जायेंगे।

चरण–4ः– ट्रेड्समैन/ट्रेड्सवूमेन के लिए ट्रेड परीक्षा का आयोजन

क) वे सभी उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे ट्रेड परीक्षा में शामिल होंगे जोकि अर्हक प्रकृति की होगी।

ख) ट्रेड परीक्षा/प्रायोगिक मूल्यांकन दो स्तरों/चरणों यथा विस्तृत(सबजेक्टिव) तथा वस्तुनिष्ठ(ऑबजेक्टिव) जिसमें प्रायोगिक मुल्यांकन तथा लिखित स्किल परीक्षा होगी जो अर्हक प्रकृति का होगा। प्रायोगिक ट्रेड परीक्षा के लिए निर्धारित 50 अंक में से उम्मीदवार को सफल होने के लिए 20 अंक लाने होंगे। पूर्ण विवरण इस प्रकार हैः–

क0सं0	गतिविधि/विवरण		अंक
1	डिप्लोमा/प्रमाण पत्र (कोर्स एवं अनुभव)	डिप्लोमा या प्रमाण पत्र कोर्स या अन्य दक्षता कोर्स संबंधित ट्रेड में चाहे किसी भी अवधि का है। और किसी भी एजेन्सी/संस्था द्वारा जारी है।	3 अंक

2	ट्रेड टेस्ट	ए) संबंधित ट्रेड का मौखिक आकलन	07 अंक
		बी) प्रायोगिक आकलन	35 अंक
3	लिखित दक्षता	संबंधित ट्रेड के विषय का आंकलन (100 शब्द – समय 20 मिनट)	05 अंक
		कुल 1+2+3	50 अंक

नोटः– ट्रेड टेस्ट आकलन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा। मौखिक, प्रायोगिक एवं अनुभव का आकलन होगा और समर्थित दस्तावेजों एवं उस आकलन के दौरान निष्पादन क्षमता के आधार पर अंक दिए जाएंगे। ट्रेड टेस्ट के दौरान उम्मीदवार से उसके संबंधित ट्रेड्स जिसके लिए उसने आवेदन किया है/उपस्थित हुआ है, के किसी भी क्रिया–कलाप/गतिविधि के बारे में पूछा जा सकता है। प्रत्येक ट्रेड के लिए पेरामीटर इस प्रकार होंगेः–

1	बुगलर	बिगुल बजाना
2	मोची	अपने ट्रेड की जानकारी होनी चाहिए। जूतों की पालिस, औजार चलाना, चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत, सिलाई तथा नए जूते बनाना आदि।
3	माली	पौधारोपण का ज्ञान, पौधों का रख–रखाव, बीजों की जानकारी एवं उनके सीजन, खाद एवं गोबर की खाद आदि की जानकारी।
4	कुक/ रसोईया	रोटी/चावल/सब्जी/दाल/सांभर/इडली/मीट/मछली /अंडा व खीर आदि बनाना।
5	जलवाहक	वर्तन साफ करना, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना व सब्जी काटना आदि।
6	सफाई कर्मचारी	फर्श व खुले एरिया की सफाई व बाथरूम व शौचालय आदि की सफाई करना।
7	नाई	औजार चलाने की जानकारी तथा दाड़ी व बालों की कटिंग करना।
8	ध ोबी/ धोबिन	कपड़े धोना, खाकी कॉटन वर्दी गर्म व टैरीकॉटन वर्दी पर प्रेस करना।
9	हेअर ड्रेसर (महिला)	औजार चलाने की जानकारी एवं महिलाओं के बालों की कटिंग करना।

चरण–5 (चिकित्सा परीक्षण):–

पद्ध केवल वे उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे, वे चिकित्सा परीक्षण में शामिल होंगे। रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हक धोषित किए जाएंगे एवं इसमें पिछले चिकित्सा परीक्षण के औसत असफलता दर एवं पूर्व अनुभव के आधार पर बढ़ाया जाएगा।

पपद्ध जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तो में उल्लेख किया गया है उम्मीदवारों की शारीरिक एवं चिकित्सीय उपयुक्तता के आकलन के लिए उनका चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा।

पपपद्ध चिकित्सा जॉच(एक्स–रे एवं प्रयोगशाला जॉच) केरिपुबल के चिकित्साधिकारी द्वारा केवल उन्हीं उम्मीदवारों का किया जाएगा जो चिकित्सीय पात्रता को पूर्ण करते है। यदि उम्मीदवार एक्स–रे या अन्य जॉच परीक्षण में अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उनकी अपील पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

पअद्ध चिकित्या परीक्षण के दौरान चिकित्साधिकारी द्वारा उम्मीदवार को ''फिट'' या ''अनफिट'' घोषित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को ''अस्थाई अनफिट'' नहीं किया जाएगा।

अद्ध यद्यपि जिस उम्मीदवार को चिकित्साधिकारी द्वारा ''चिकित्सीय रूप से ''अनफिट'' घोषित किया जाता है वे अयोग्य घोषित होने के 15 दिनों के अन्दर अपील/प्रतिवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत कर सकते है। अयोग्य घोषित होने के एक महीने के अन्दर अपीलीय पैनल द्वारा उम्मीदवार की अपील पर निर्णय लिया जाएगा। अपील में यदि अपीलीय पैनल द्वारा चिकित्सीय रूप से फिट पाया जाता है, तो उम्मीदवार का चयन रिक्तियों की उपलब्धता एवं अंतिम चयन हेतु निर्धारित वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

अपद्ध उम्मीदवार का चिकित्सा परीक्षण में फिट घोषित किया जाना नियुक्ति की गारन्टी नहीं होगा क्योंकि अंतिम रूप से चयन संबंधित श्रेणी में वरीयता सूची एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

अपपद्ध उम्मीदवार के सभी साक्ष्य/प्रमाण–पत्र बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण के दौरान जॉच किए जाएंगे।

(1) चिकित्सा परीक्षण के विरूद्ध अपील:–

यदि कोई उम्मीदवार चिकित्सा परीक्षण में भर्ती चिकित्सक द्वारा ''अनफिट'' घोषित किया जाता है, तो भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से लिखित में उम्मीदवार को सूचित किया जाएगा। यदि उम्मीदवार भर्ती चिकित्सक की राय से संतुष्ट नहीं है, तो अपने जिला अस्पताल के संबंधित रोग विशेषज्ञ के

मेडिकल फिटनेस ''प्रमाण–पत्र'' जिसमें राज्य मेडीकल कांउसिल प्रैक्टिशनर पंजीकरण संख्या का भी उल्लेख हो, के साथ अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। उस चिकित्सा प्रमाण पत्र/सबूत पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित चिकित्साधिकारी इस आशय की टिप्पणी न दे कि केरिपुबल में नियुक्ति के लिए केरिपुबल के भर्ती चिकित्सा बोर्ड द्वारा पूर्व में उम्मीदवार को ''अनफिट'' घोषित किए जाने के तथ्यों की पूर्ण जानकारी है। उम्मीदवार के ''अनफिट'' घोषित किए जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपील प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सेक्टर, केरिपुबल, पुराना हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पुलिस मुख्यालय रायपुर के निकट छत्तीसगढ़ 492001 अपीलीय प्राधिकारी होंगें। अपीलों की जॉच के लिए एक चिकित्साधिकारी अपीलीय प्राधिकारी के सहयोगी के रूप में होंगे। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जिन उम्मीदवारों की अपील को स्वीकार किया जाएगा उन्हें रिव्यू मेडीकल बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट करने के लिए समय से (तारीख/समय/स्थान का उल्लेख करते हुए) सूचित किया जाएगा। अनफिट उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षण समीक्षा अधिसूचित केन्द्र पर चिकित्सा परीक्षण समीक्षा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण वर्तमान प्रचलन में अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

चरण–6 (अंतिम वरीयता सूची तैयार करना):–

पद्ध चिकित्सा परीक्षण पूरा होने के बाद प्रत्येक श्रेणी के लिए योग्यता सूची का निर्धारिण जिला/श्रेणी अर्थात अनुसूचित जनजाति एवं भूतपूर्व सैनिक (अनुसूचित जनजाति) के अनुसार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

पपद्ध यदि अंकों में समानता होती है, तो वरीयता सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी।

क) समान अंकों की समस्या का निराकरण बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का हवाला देकर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को कम अंक प्राप्त करने वाले की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी।

ख) यदि बराबरी फिर भी बनी रहती है तो जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी उसे वरीयता दी जाएगी।

ग) यदि बराबरी फिर भी बनी रहती है तो जिस उम्मीदवार के प्रथम नाम का अक्षर (अंग्रेजी) वर्णकम के अनुसार पहले आता है, उन्हें योग्यता सूची में उच्च कम दिया जाएगा।

iii) उम्मीदवार को नियुक्ति/चयन उनके द्वारा मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने तथा संबंधित श्रेणी में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर ही दी जाएगी।

12. अंतिम चयनः—

1) उम्मीदवारों का अंतिम चयन मेरिट तथा प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा।
2) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नाम/सूची भर्ती केन्द्रों के बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे और साथ ही इसे केरिपुबल की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
3) नियुक्ति प्रस्ताव प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों एवं मेरिट कम के आधार पर चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन के बाद जारी किए जाएंगे।
4) सभी चयनित उम्मीदवारों से पद ग्रहण (ज्वाईनिंग) के समय इस आशय की वचनबद्धता (अंडरटेकिंग) ली जाएगी की यदि सेवा के दौरान कभी भी उनमें वर्णाधता (कलर ब्लाइन्डनेंस) पाई जाती है, तो उन्हें प्रचलित शेप'' नीति के तहत बोर्ड आऊट कर दिया जाएगा एवं इसे उनकी सेवा पुस्तिका में संलग्न किया जाएगा।

13. अन्य शर्तेः—

क) इस रैली भर्ती में केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते है।

ख) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, कि आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञापन में दिए गए सभी विस्तृत निर्देशों/सूचनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।

ग) शारीरिक रूप से अपंग श्रेणी के उम्मीदवार इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

घ) भर्ती के लिए याचना करने या किसी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने पर संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

च) उम्मीदवार अपने स्वयं के खर्चे एवं जोखिम पर चयन प्रकिया में शामिल होंगे और इसके लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। भर्ती के दौरान उन्हें ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

छ) भर्ती प्रकिया के दौरान दुर्धटना/चोटग्रस्त अथवा नुकसान हो जाने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

ज) चयनित उम्मीदवार भारत में और भारत के बाहर कहीं भी नियुक्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगें।

झ) यदि उम्मीदवार को केरिपुबल में नियुक्त किया जाता है, एवं इसके पश्चात वह त्याग पत्र या सेवामुक्त करने का आग्रह करता है, तो उसे नियमानुसार तीन माह के वेतन एवं भत्तों या उनको प्रदान की गई प्रशिक्षण पर हुए खर्च, जो भी अधिक हो, की रकम जमा करनी होगी।

ट) नियुक्त होने पर उम्मीदवार पर दिनांक 01/04/2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

ठ) उम्मीदवार को परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर या अन्य किसी इलेक्ट्रिक/इलैक्ट्रोनिक उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार के पास ऐसी वस्तु पाई जाती है, तो ऐसे उम्मीदवार के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जा सकेगी और बोर्ड द्वारा उसे अनुचित साधनों का उपयोग मानते हुए उसकी उम्मीदवारी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

ड) पी.एस.टी/पी.ई.टी प्रकिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

ढ़) चयनित उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने से पूर्व संबंधित पुलिस प्राधिकारी से कराया जाएगा ।

हस्ता/— 14/9/16

(प्रदीप चन्द्र)
पुलिस उप महानिरीक्षक(प्रशा0)
छ0ग0 सेक्टर, केरिपुबल, रायपुर

परिशिष्ट –ए

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में वामग्रस्त प्रभावित जिलों में सिपाही (सामान्य डयूटी व ट्रेड्समैन) की भर्ती–2016 के लिए आवेदन पत्र

लगभग 3.5 X 4.5 सेमी0 आकार का हाल ही खीचीं गई पासपोर्ट साईज का फोटाग्राफ

1. बड़े अक्षरों में आवेदक का नाम (मैट्रिक परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार)

2. पिता का नाम (मैट्रिक परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार)

3. माता का नाम (मैट्रिक परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार)

4. जाति / वर्ग (सही को चिह्नित करे)

अजजा	हॉ / नहीं

5. राष्ट्रीयता (जन्म या अधिवास से स्पष्ट करे) [ ]

6. (ए) राज्य का नाम [ ]

(बी) अधिवास जिला [ ]

7. जन्म तिथि (ईसवी सन् के अनुसार)

वर्ष	माह	दिन

दि	दि	म	म	व	व	व	व

(01/08/2016 को आयु)

8. स्थायी पता

मकान नं0		गॉव						
डाकघर		पु0स्टेषन						
तहसील		जिला						
राज्य		पिन						

9. स्थायी पता

मकान नं0		गॉव	
डाकघर		पु0स्टेषन	
तहसील		जिला	

राज्य		पिन						

10. धर्म (सही को चिह्नित करे)

हिन्दू	मुस्लिम	सिक्ख	ईसाई	बौद्ध	अन्य

11. शैक्षणिक योग्यता (सही को चिह्नित करे)

मैट्रिक और समकक्ष	बारहवीं या 10+2	स्नातक	स्नात्कोतर

12. शारीरिक मानदण्ड
अ) ऊँचाई (सेमी में) .... सेमी
ब) सीने का माप बिना फुलाए .... सेमी
(केवल पुरूष उम्मीदवारों के लिए) फुला कर .... सेमी
स) वजन किग्रा ....

13. वर्तमान रोजगार का विवरण : ....
यदि कोई हो पद और सेवा संख्या /विभाग का नाम

14. क्या आप भूतपूर्व सैनिक है : हाँ / नहीं

15. क्या आप आयु/**ऊॅचाई मे** छूट का दावा कर रहे है: हाँ / नहीं

<u>घोषणा</u>

मैं, घोषणा करता हूँ कि मेरे आवेदन पत्र में दिया गया विवरण मेरी जानकारी और ज्ञान के अनुसार सही, पूर्ण और उचित है। परीक्षा के पहले या बाद में किसी भी सूचना के गलत या असत्य या अपात्र पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त समझी जाएगी और भर्ती के लिए मेरे सारे दावे समाप्त समझे जाएगें। मैं यह भी समझता हूॅ कि यदि किसी भी स्तर पर मुझे चयन समिति द्वारा गलत साधनों का पी0ई0टी0 / पी0एस0टी / लिखित परीक्षा में प्रयोग करते हुए पाया जाता है या चयन प्रक्रिया में किसी नियम / विनियमों का उल्लघन करते हुए पाया जाता है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी और चयन समिति के एक मात्र निर्णय से मुझे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(..)
उम्मीदवार के हस्ताक्षर
(प्रार्थना पत्र में हस्ताक्षर नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा)

स्थान :
दिनांक :

<u>केवल कार्यालय प्रयोग हेतु</u>

1 रैली केन्द्र का नाम :————————————————————————

2 पंजीयन संख्या : ————————————————————————

3 आवंटित रौल नंम्बर : ————————————————————————————

4 टिप्पणी : ——————————————————————————————————

परिशिष्ट – बी

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....पुत्र श्री............................ ग्राम/नगर ....जिला/राज्य/मंडल/संघ राज्य क्षेत्र ....के निवासी..........................जाति/जन जाति से संबंधित है जो निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैः–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम–1971) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976)
संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश,1956
' संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
' अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित ।
' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदे"ा, 1962
' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
' संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1964
' संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
' संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
, संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1968
' संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
, संविधान (जम्मू व क"मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
' संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1990
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1991
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय–संशोधन), अधिनियम 1991
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदे"ा (सं"ोधन) अध्यादे"ा 1996

02. यह प्रमाण पत्र श्री ....पुत्र श्री.................. ग्राम/नगर........................ जिला/मंडल......................... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.......................को जो.................... जाति/जन जाति से संबंधित हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं को अथवा श्री..............तथा अथवा उसका परिवार जो साधारणतया ग्राम/नगर....................जिला/मंडल................ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं को........................(जारी करने वाले निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी का नाम) द्वारा उनके दिनांक .... संख्या..........................के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है ।

03 श्री ———————————— एवं उनका परिवार ग्राम/नगर————————————
जिला/मंडल————————————राज्य/संघ राज्य क्षेत्र———————— के निवासी हैं ।

स्थान.......................................   हस्ताक्षर.............................
दिनांक..   पदनाम....................................
(कार्यालय मुहर सहित)

टिप्पणी :— यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

- जो लागू न हो उसे काट दें

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।
2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/ महाप्रांत मजिस्ट्रेट
3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।
4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।